

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 95/2020 GCMS No. 2020/00189

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी


आदेश

दिनांक :- 9.10.2020

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 225 रकबा 2.43 हैक्टर में से 494 मीटर, खसरा नम्बर 243/224 रकबा 2.95 हैक्टर में से 960 मीटर, खसरा नम्बर 215 रकबा 12.07 हैक्टर में से 1200 मीटर जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति खातेदारान, रिपोर्ट पटवारी हल्का 18.08.2020 एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट 18.08.2020 अनुसार संबंधित खातेदारान द्वारा उपरोक्त खसरान में से रास्ता निकाले जाने की सहमति प्रदान की है, मौके पर कदीमी रास्ता भी बताया है गोरिया नाड़ा से होकर खसरा नम्बर 227, 248/224, 225, 243/224, 215 मे से खसरा नम्बर 214 तक रास्ता जाना बताया है मौके पर रास्ता चालू है, जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2020 में वर्णितानुसार करावें। पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट एवं उसमें अंकित नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 9.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

